सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023 *Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2023

संख्या प.6 (31)कृषि/ग्रुप-2/2003 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 24.04.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति सीकर की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति सीकर द्वारा मण्डी क्षैत्र के ग्राम धोद में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम धोद में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में - सीकर रोड पर रामबक्शपुरा स्टेण्ड तक।
पश्चिम में - ग्राम अनोखू की राजस्व सीमा।
उत्तर में - ग्राम भूवाला की राजस्व सीमा।
एवं दक्षिण में - ग्राम पेवा की राजस्व सीमा।

गौण मण्डी धोद की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

4480

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।